

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1931 (श0)

(सं0 पटना 634) पटना, मंगलवार, 22 दिसम्बर 2009

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर 2009

सं0 यो03/5—10/09—4025—यो0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अवर योजना संवर्ग में भर्ती की पद्धित एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली, 2009

अध्याय : 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।--
 - (i) यह नियमावली बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
 - (iii) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।
- 2. परिभाषाऍ ।-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-
 - (i) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है बिहार-राज्यपाल ;
 - (ii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
 - (iii) ''प्रशासी विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का योजना एवं विकास विभाग :
 - (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;
 - (v) ''नियुक्ति पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव ;
 - (vi) ''संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार अवर योजना संवर्ग ;
 - (vii) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार अवर योजना संवर्ग में नियुक्त योजना सहायक (वरीय सांख्यिकी सहायक) एवं अवर योजना पदाधिकारी में प्रोन्नत कर्मी; तथा
 - (viii) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।

- 3. संवर्ग का गठन। –यह संवर्ग राज्य संवर्ग समझा जायेगा ।
- 4. सम्वर्ग की संरचना ।-
 - (i) यह सम्वर्ग योजना एवं विकास विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगा ।
 - (ii) इस सम्वर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का विवरण अनुसूची 1 में दिया गया है ।
 - (iii) राज्य सरकार समय—समय पर इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों के बल एवं पदनाम का निर्धारण अधिसूचना प्रकाशित करके कर सकेगी और स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग में स्थायी/अस्थायी पदों के सुजन/विलोपन की स्वीकृति दे सकेगी ।
 - (iv) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से अनुसूची में उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।
- 5. पद स्थिति। इस संवर्ग के सदस्य अराजपत्रित होंगे ।

अध्याय : 2 भर्त्ती

- 6. भर्ती का स्रोत।-
 - (i) इस सेवा की मूल कोटि योजना सहायक के शत-प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। भर्त्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के विषय, पाठ्यकम और न्यनूतम अर्हत्तांक का निर्धारण राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
 - (ii) आयोग से प्राप्त मेधा सूची के विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही वैध होगी ।
 - (iii) प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को मूल कोटि के रिक्त पदों को निर्धारित करेगा तथा इन रिक्तियों पर भर्ती हेतु आयोग को सूचित करेगा।
- 7. उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता।-
 - (i) सीधी भर्त्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी विषय से स्नातक हो ।
 - (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऐपलिकेशन (Computer Application) में न्यूनतम छः माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि प्राप्त हो ।
- परीक्ष्यमान अवधि / विभागीय परीक्षा / सम्पुष्टि ।—
 - (i) किसी मौलिक पद के विरूद्ध नियुक्त प्रत्येक कर्मी को दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रखा जायेगा । परिवीक्षा की अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है, यदि नियुक्ति पदाधिकारी संतुष्ट हो कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी में बढ़ायी गयी अवधि के अंतर्गत स्थायी नियुक्ति हेतु सुधार हो जायेगा। यदि वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं हो तो सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
 - (ii) परिवीक्षाधीन प्रत्येक व्यक्ति को राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम केन्द्रीय परीक्षा समिति से परामर्श कर निर्धारित किया जायेगा। परन्तु यह कि पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान आवश्यक रुप से रहेगा।
 - (iii) प्रथम वेतन वृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही अनुमान्य होगी।
 - (iv) सम्पुष्टि एवं प्रोन्नित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही देय होगी। परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व नियुक्त इस सेवा के सदस्यों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
- 9. वरीयता ।—सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गयी कमानुसार मेधासूची के आधार पर किया जायेगा ।

अध्याय : 3 प्रोन्नति ।–

- 10 (i). इस संवर्ग की विभिन्न श्रेणियों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कालाविध पूरी करने के बाद प्रोन्नति होगी ।
- (ii) इस संवर्ग के अंतर्गत अवर योजना पदाधिकारी की कोटि के शत—प्रतिशत पदों को वरीयता—सह—मेधा के आधार पर योजना सहायक के पदधारकों की प्रोन्नित द्वारा भरा जायेगा ।
 - (iii) इस संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नित विभागीय प्रोन्नित समिति की अनुशंसा पर की जायेगी ।

11. आरक्षण ।–मूल कोटि में भर्ती तथा उच्चतर कोटियों में प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियम / संकल्पों / अनुदेशों / रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

अध्याय : 4

12. वेतनमान।-इस संवर्ग की विभिन्न कोटियों के पदों का वेतनमान अनुसूची-1 के अनुसार होगा अथवा उनके तत्समान प्रतिस्थानी वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित किये जायेंगे।

प्रकीर्ण ।-

- 13. प्रशिक्षण ।– इस संवर्ग के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य के बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा । प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्निति समिति द्वारा ध्यान में रखा जा सकेगा ।
- 14. अन्य सेवा शर्तें ।–(i) इस संवर्ग के लिए अन्य सेवा शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवा निवृति लाभ इत्यादि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू सुसंगत नियमों के प्रावधानों से नियंत्रित होंगी ।
- (ii) प्रशासी विभाग में पूर्व सृजित निम्नांकित पद इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से यथा स्तम्भ (3) में अंकित सम्परिवर्त्तित पदनाम से जाने जायेंगे:-

क्रमांक	मूल पदनाम	सम्परिवर्त्तित पदनाम
1	2	3
(i)	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (जिला योजना इकाई) शोधकर्त्ता (मुख्यालय)	अवर योजना पदाधिकारी
(ii)	वरीय सांख्यिकी सहायक (जिला योजना इकाई) शोध सहायक(मुख्यालय) सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (योजना पर्षद)	योजना सहायक

- 15. निरसन एवं व्यावृति।-
- (i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से, इस नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल निर्गत सभी परिपत्र / निर्णय निरसित समझे जायेंगे ;
- (ii) इस नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व जो भी निर्णय लिये गये हैं, उनके संबंध में यह माना जायेगा कि सभी निर्णय इस नियमावली के अधीन लिये गये हैं ,
- (iii) राज्य सरकार प्रशासी विभाग के माध्यम से इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति रखती है तथा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा । प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरुप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामेश्वर सिंह, सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची - '1'

संवर्ग के पदों की संरचना एवं गणना

मूल कोटि के पद:- योजना सहायक, वेतनमान 5,000-8,000 पदों की संख्या पदनाम

(1) योजना सहायक 98

- अभ्युक्ति (i) सभी जिला योजना इकाईयों में दो-दो पद(38x2=76 पद)
- (ii) योजना एवं विकास विभाग(मुख्यालय)-पन्द्रह पद
- (iii) बिहार राज्य योजना पर्षद के सात पद
- प्रोन्नति का प्रथम स्तर:- वेतनमान 5,500-9,000 पदों की संख्या

अवर योजना पदाधिकारी (2) 47 अभ्युक्ति

- (i) सभी जिला योजना इकाइयों में एक-एक पद (कुल 38 पद)
- (ii) प्रमंडलीय मुख्यालयों में एक-एक पद (कुल 9 पद)

The 9th December 2009

No. Yo3/5-10/09- 4025-PD—In the exercise of powers conferred under provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to regulate the mode of recruitment and conditions of Cadre of Bihar Subordinate Planning Cadre.

Bihar Subordinate Planning Cadre Rules, 2009

Chapter 1 Preliminary

- 1. Short Title, Extent and Commencement:—
 - (i) These Rules may be called the Bihar Subordinate Planning Cadre Rules, 2009.
 - (ii) It shall be applicable to the whole of the State of Bihar.
 - (iii) It shall immediately come into force.
- 2. Definitions:—In these Rules, unless the context requires otherwise,
 - (i) "Governor" means the Governor of Bihar.
 - (ii) "State Government" means the Government of Bihar State.
 - (iii) "Administrative Department" means the Department of Planning & Development.
 - (iv) "Commission" means the Bihar Karmchari Chayan Ayog.
 - (v) "Appointing Authority" means the Principal Secretary/ Secretary of the Department of Planning & Development, Government of Bihar.
 - (vi) "Cadre" means Bihar Sub Planning Cadre.
 - (vii) "Member of the Cadre" means Planning Assistant (Senior Statistical Assistant appointed to the Bihar Sub Planning Cadre and Promoted as Sub Planning Officer.
 - (viii) "Schedule" means schedule appended to this rule.
- 3. Constitution of the Cadre:—This Cadre shall be a State Cadre.
- 4. Structure of the Cadre:—
- (i) This Cadre will be under the administrative control of the Department of Planning and Development.
- (ii) The details of different categories of posts of this Cadre are given in Schedule 1.
- (iii) The State Government may, from time to time, fix the strength of different categories of this Cadre and in addition to the designated posts, approve the creation/abolition of the permanent/temporary posts in this Cadre by notifying in the Gazette.
- (*iv*) On the date of commencement of this Rule, the employees previously recruited and working on the posts mentioned in the Schedule will automatically be treated as members of this Cadre.
 - 5. Status of the Post:—The members of this Cadre shall be Non-gazetted.

Chapter 2 Recruitment

- 6. Sources of Recruitment:—
- (i) All Posts of Basic grade of this cadre shall be filled up through the direct recruitment by written competitive examination conducted by the commission from time to time. Subject, syllabus and minimum qualification for competitive examination for recruitment shall be prescribed by the State Government and Commission from time to time in accordance with established rules and provisions.

- (ii) The Merit List shall be valid for a period of one year from the date of its receipt in the department from Commission.
- (iii) The administrative department shall determine the number of vacancies existing in each year and send the number of vacancies to the Commission on 1st april for recruitment.
 - 7. Minimum Educational Qualification of the Candidates:—
 - (i) Graduate Degree with Economics/Mathematics/Statistics from any recognized University shall be compulsory.
 - (ii) Certificate Course of minimum six months in Computer Application from any recognized institutions shall be compulsory.
 - 8. Probation/Departmental Examination/Confirmation:—
- (i) Every employee shall, on appointment against the basic post vacancy, be on probation for a period of two years. Probation period may be extended for one year if the appointing authority is satisfied that probationer may improve during the extended period for permanent appointment. If the services are found not satisfactory during extended probation period, services may be terminated.
- (ii) It shall be compulsory for every employee to pass the departmental examination conducted by Central Examination Committee of Revenue Board.
- (iii) After first increment, the next increment shall be admissible only after passing the prescribed departmental examination.
- (iv) Confirmation and Promotion shall only be considered after passing the Departmental Examination, but this provision shall not be applicable to the members of this cadre appointed before the commencement of this rule.
- 9. *Seniority*—The inter-se seniority of the direct recruits shall be determined in accordance with the merit list prepared by the Commission.

Chapter 3

Promotion

- 10 (i) Promotion shall be made on different post of this cadre after the completion of time bar fixed by the department of Personnel & Administrative Reforms from time to time.
- (ii) Cent-Percent post of Sub Planning Officer shall be filled on the basis of promotion of Planning Assistant on the basis of Seniority-cum-Merit.
- (iii) Employees of this cadre shall be promoted on the recommendation of Departmental Promotion Committee.
- 11. *Reservation:*—It shall be compulsory to follow the rules/circulars/rosters/etc. prescribed from time to time by the State Government regarding reservation policy in recruitment in basic post and promotion on higher post.

Chapter 4

Pay

12. *Pay Scales*:—Pay scales of various grades of posts shall be as mentioned in the Schedule-1, or their corresponding revised scales notified by the State Government from time to time.

CHAPTER -5

Miscellaneous

13. *Training*:—A member of this Cadre may be sent on training within or outside the state for such a period as the state government may determine. The assessment of an employee on the conclusion of the training may be taken into consideration by the Departmental Promotion Committee.

- 14. Other conditions of this Cadre:—
- (i) Other conditions applicable to this Cadre such as, disciplinary action, leave, retirement benefits etc. shall be governed by the respective rules framed for employees and officials of the state government.
- (ii) On the date of the commencement of these rules the following, previously created, basic grade posts of the Administrative Department shall be known with changed designations mentioned in Column 3.

Sl.No.	Name of Basic Grade Posts	New Designations
1	2	3
I	Assistant Statistical Officer	Sub Planning Officer
	(District Planning Units)	
	Researcher (Head Quarter)	
2	Sr. Statistical Assistant (District	Planning Assistant
	Planning Units)	
	Research Assistant	
	(Head Quarter)	
	Assistant Research Officer	
	(Planning Board)	

15. Repeal

- (i) On the date of the commencement of these Rules all other related and relevant circulars/decisions will rest rescinded.
- (ii) In spite of such rescindation the work done or decisions taken under above mentioned Rules shall be treated as the work done or decisions taken under these rules, as if these rules were in force on that date on which such work was done or such decisions were taken.
- (iii) State Government through the Administrative Department shall have powers to amend the provisions of these Rules and issue circulars/directions making clarifications on any doubts raised and its interpretation shall be final. The administrative department may determine the procedures, for giving effect to the provisions of these Rules, provided they are not contrary to any provisions of these Rules.

By order of the Governor of Bihar, RAMESHWAR SINGH, Principal Secretary.

Schedule-'1'

(i) Structure of Posts of the Cadre

Sl. Post of Basic Grade :- Planning Assistant, Pay Scale:- 5,000—8,000 No.

110.	Name of the Post	No. of	Remarks
	Ivalle of the Lost	Posts	Remarks
(1)	Planning Assistant	98	(i) Two Posts in each District
			Planning Units
			(38x2=76 Posts)
			(ii) Planning & Development
			Department (Head Quarter)-15
			Posts
			(iii) Planning State Planning Board -
			7 Posts
(ii)	First level of Promotion Pay Scale	e :- 5500—9	000
` '	Name of the Post	No. of	Remarks
		Posts	
(2)	Sub Planning Officer	47	(i) One Post in each District
. ,			Planning Units
			(38x1=38 Posts)
			(ii) One Post in each Divisional
			Head Quarter
			(9x1=9 Posts)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 634-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in